Qjk Ldii fuxe fyfeVM

/;kukd"k.k uhfr @ f0gfly Cykvj ikfyl h

1-iLrkouk

यह नीति, कंपनी में किसी प्रकार के अनैतिक एवं अनुचित कार्य अथवा किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार की जानकारी होने पर, कर्मचारियों द्वारा सद्भावनापूर्वक इसे लेखा परीक्षा समिति को सूचित करने का अवसर प्रदान करने, एवं प्रबंधकीय कार्मिकों को ऐसे सूचना प्रदान करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने पर रोक लगाने हेतु प्रतिपादित की गई है। अनैतिक एवं अनुचित कार्य अथवा किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार की जानकारी प्रदान करने में कर्मचारियों की भूमिका को क्षीण नही किया जा सकता है। अतएव, कर्मचारियों को ऐसे चिन्तित करने वाले उल्लंघनों को सूचित करना है – **^^,Q,l,u,y dk iR;d depkjh] diuh e gk jg fdlh Hkh idkj d vufrd ,o vufpr dk;l vFkok fdlh Hkh idkj d xyr 0;ogkj dh tkudkjh gku ij] vFkok diuh d 0;olk; vFkok ifr"Bk dk udlku igpku oky fdlh idj.k dh tkudkjh gku ij] Qkju ic/ku dk lfpr djxkA**

- लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों में, कर्मचारियों के लिए ''व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी'' (ध्यानाकर्षण नीति) नामक प्रक्रिया प्रतिपादित करने का प्रावधान है, जिसके तहत वे अनैतिक एवं अनुचित कार्य अथवा कंपनी में किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार की जानकारी प्रबंधन को प्रदान कर सकें।
- तदनुसार, कंपनी के कर्मचारियों को लेखा समिति (लेखा समिति के अभाव में निदेशक मंडल) से संपर्क स्थापित करने हेतु एक प्रक्रिया उपलब्ध कराने के औचित्य से यह ध्यानाकर्षण नीति/व्हिसिल ब्लोअर पालिसी (''नीति'') प्रतिपादित की गई है।

2-i;ktu

यह नीति कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू है।

3-uhfr

किसी कर्मचारी द्वारा सद्भावनापूर्वक किसी अनैतिक कार्य अथवा तथाकथित अनुचित कार्य का प्रकटन किए जाने पर, प्रतिकार स्वरूप उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्मिक कार्यवाही न तो की जाएगी और न ही इसकी संस्तुति दी जाएगी। यह नीति ऐसे कर्मचारियों के अनुचित निष्कासन एवं नियोजन में उसके खिलाफ अनुचित प्रतिकूल कार्यवाही किए जाने से उसे संरक्षित करती है।

किन्तु यह नीति एक कर्मचारी को किसी प्रतिकूल कार्यवाही से उस अवस्था में संरक्षित नही करती है, जब यह कार्यवाही उसके द्वारा अनैतिक एवं अनुचित कार्य अथवा किसी भी प्रकार के तथाकथित गलत व्यवहार के प्रकटन की वजह से नही किया गया हो, अथवा जो उसके असंतोषजनक कार्य निष्पादन की वजह से या किसी अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही जो इस नीति के तहत प्रकटन से संबद्ध नही हैं, की वजह से किया गया हो।

4-ifjHkk"kk,¡

अ)''ifrdy dkfed dk;okgh'' का मतलब है, नियोजन संबंधी कार्य अथवा निर्णय या, प्रबंधकीय कार्मिकों के द्वारा कोई ऐसे उचित कार्यवाही किए जाने में नाकामी जिसकी वजह से कर्मचारी का नियोजन प्रभावित हो जिसके तहत प्रतिकार, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, कार्यस्थल, कार्य की रूपरेखा, प्रतिरक्षा, अवकाश, प्रशिक्षण या अन्य सुविधाएं शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नही हैं।

आ)''rFkkdfFkr vufpr dk;'' का मतलब है, कानून का उल्लंघन, कंपनी की आचरण संहिता अथवा नैतिक सिद्धांत का अतिक्रमाण, अव्यवस्था, राशियों का अपाहरण, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखेबाजी, जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर व्यापक एवं विलक्षित खतरा, अथवा प्राधिकार का दुरुपयोग।

इ)''y[kk ijh{k.k lfefr'' का मतलब है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित लेखा परीक्षण समिति।

ई)''lfgrk'' का मतलब है, मंडल की आचार संहिता एवं वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता।

उ)''vuikyu vf/kdkjh'' का मतलब है, कंपनी का कंपनी सचिव।

ऊ)''depkjh'' का मतलब है, कंपनी के रोजगार में निहित कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी।

ऋ)''lnHkkouk'' – किसी अनैतिक एवं अनुचित कार्य अथवा किसी अन्य तथाकथित गलत आचरण की जानकारी प्रदान किए जाने के संबंध में यथोचित आधार होने पर यह माना जाएगा कि कर्मचारी द्वारा ''lnHkkouk iod*' यह सूचना प्रदान की जा रही है।

जब किसी कर्मचारी द्वारा दिए जा रहे सूचना के संबंध में उसके पास व्यक्तिगत तौर पर वास्तविक तथ्यपूर्ण आधार नही हो, अथवा जब कर्मचारी को यह ज्ञात हो अथवा समुचित रूप से यह मालूम रहा हो कि अनैतिक एवं अनुचित कार्य अथवा तथाकथित अनुचित आचरण की जानकारी दुर्भावनापूर्ण, गलत एवं उथली है, ऐसी अवस्था में दी गई सूचना को सदभावना–रहित माना जाएगा।

ए)''tkpdrk'' का मतलब है, लेखा परीक्षण समिति/मंडल द्वारा प्राधिकृत, नियुक्त, परामर्शित अथवा संपर्क स्थापित व्यक्ति जिनमें कंपनी के लेखा परीक्षक एवं पुलीस भी शामिल हैं।

ऐ)''l:jf{kr i:dVu'' का मतलब है, सद्भावना पूर्ण संचार जो ऐसी सूचना को प्रकटित अथवा प्रदर्शित करती है जिससे अनैतिक अथवा अनुचित कार्य प्रमाणित हो।

ओ)''d:iuh'' का मतलब है फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड।

औ)''0;fDr'' का मतलब है, एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध अथवा जिसके संबंध में संरक्षित प्रकटन किया गया है, अथवा एक जांच के दौरान साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं।

अं)''/;kukd"kd/f0gfly Cykvj'' का अर्थ है, इस नीति के तहत संरक्षित प्रकटन करने वाला एक कर्मचारी।

5-nk;jk

- यह नीति, आचार संहिता का एक विस्तार है। ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर, विश्वसनीय सूचनाओं से युक्त सूचना पक्ष की भूमिका निभाता है। उन्हें जांचकर्ता अथवा तथ्य अन्वेषक का कार्य न तो निभाना है, न उनसे ऐसी अपेक्षा है, और न ही दिए गए प्रकरण के संबंध में वे वांछित उचित सुधारात्मक अथवा उपचारात्मक कार्य का निर्धारण करेंगे।
- ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर को स्वतः कोई जांच कार्य नही करना है, और उन्हें, मंडल अथवा लेखा परीक्षण समिति अथवा जांचकताओं के द्वारा अनुरोधित कार्य के अलावा किसी भी जांच कार्य में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त नही है।
- लेखा समिति/मंडल द्वारा संरक्षित प्रकटन पर यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

6-vik=rk

- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक ध्यानाकर्षकों/व्हिसिल ब्लाअरों के साथ यहां उल्लेखित किसी भी अनुचित बर्ताव से संपूर्ण संरक्षता प्रदान की जाएगी, इस संरक्षण का किसी भी प्रकार का अपप्रयोग अनुशासनात्मक कार्यवाही को बुलावा देगा।
- इस नीति के तहत संरक्षण का अर्थ, ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर द्वारा जनाबूझकर बदनीयत से गलत एवं कल्पित शिकायतें दर्ज कराने के फलस्वरूप उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने से उसे संरक्षित करना नही है।

- ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर्स, जो तीन या अधिक संरक्षित प्रकटन करता है, जो कालांतर में बदनीयत, ओछी, आधारहीन, द्वेशपूर्ण रूप से किए गए प्रकटन पाये जाते हैं, अथवा सद्भावना के विरुद्ध किए गए प्रकटन के रूप में प्रतिवेदित किए जाते हैं, तो वह इस नीति के तहत और संरक्षित प्रकटन करने की पात्रता खो देगा। ऐसे ध्यानाकर्षकों/व्हिसिल ब्लोआरों के विरुद्ध, यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने/इसकी संस्तुति देने का अधिकार कंपनी/लेखा परीक्षण समिति के पास सुरक्षित है।

7-ifd;k

- सभी संरक्षित प्रकटन, लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष अथवा कंपनी के प्रबंध निदेशक को प्रेषित करना होगा। लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक का संपर्क विवरण निम्नानुसार हैः–

प्रबंध निदेशक
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड,
इक्विपमेंट चौक, सेन्ट्रल एवेन्यू,
भिलाई, 490–001 (छत्तीसगढ)

दूरभाषः 0788–2222474/75 (कार्यालय)
फैक्स : 0788–22223884 (कार्यालय)

- संरक्षित प्रकटनों को लिखित रूप में प्रेषण वांछनीय है, ताकि संबंधित प्रकटन को स्पष्ट रूप से समझाा जाना सुनिश्चित हो, तथा ये टंकित अथवा सुवाच्य अक्षरों में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में, या ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर के नियोजन की क्षेत्रीय भाषा में लिखा हुआ हो।
- संरक्षित प्रकटन को एक बंद लिफाफे में प्रेषित करना है जिस पर ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर की पहचान अंकित हो। लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, प्रेषण पत्र को हटाकर संरक्षित प्रकटन के बारे में लेखा परीक्षण समिति के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे, एवं आवश्यकता होने पर, संरक्षित प्रकटन को कंपनी के नैतिक सलाहकार के पास जांच हेतु अग्रेषित किया जाएगा।
- संरक्षित प्रकटन तथ्यपरक होने चाहिए एवं काल्पनिक अथवा निर्णयात्मक नही होने चाहिए, तथा उसमें अधिकाधिक विशेष जानकारियां होनी चाहिए, ताकि उत्कण्ठा/चिन्ता की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्राथमिक जांच प्रकिया की अत्यावश्यकता का सही आंकलन किया जा सके।

- ऐसे संरक्षित प्रकटनों के प्रेषण पत्र में ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर को अपनी पहचान अंकित करना अनिवार्य है। अज्ञातकृत प्रकटनों पर लेखा परीक्षण समिति/प्रबंध निदेशक द्वारा कोई विचार नही किया जाएगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर के साथ साक्षात्कार करना उसके लिए संभव नही हो पाएगा।

8- tkp&iMrky

- इस नीति के तहत प्रतिवेदित सभी संरक्षित प्रकटनों का कंपनी के व्हिसिल अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच–पडताल किया जाएगा, जो लेखा परीक्षण समिति/प्रबंध निदेशक के प्राधिकार के तहत जांच–पडताल करेंगे/जांच–पडताल का निरीक्षण करेंगे।
- लेखा परीक्षण समिति/प्रबंध निदेशक के विचार से, व्हिसिल अधिकारी पर अथवा उससे संबंधित ऐसे संरक्षित प्रकटन, जो जांच–पडताल के कार्य में व्हिसिल अधिकारी की स्वतंत्रता पर बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, की जांच–पडताल स्वयं लेखा परीक्षण समिति द्वारा संपन्न की जाएगी।
- प्राथमिक पूछताछ में यदि व्हिसिल अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उत्कण्ठा का कोई आधार नही है, अथवा यह इस नीति के तहत जांच योग्य प्रकरण नही है, तो प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज कर दिया जाएगा एवं निर्णय को आलेखित किया जाएगा।
- व्हिसिल अधिकारी/लेखा परीक्षण समिति, अपनी कार्य–स्वाधीनता के अनुसार जांच–पडताल कार्य के लिए किसी जांचकर्ता को प्रयुक्त करने पर विचार कर सकता है।
- लेखा परीक्षण समिति द्वारा जांच–पडताल हेतु लिया गया निर्णय अपने आप में दोषारोपण नही है, एवं इसे निष्पक्ष तथ्यान्वेषण प्रक्रिया माना जाना चाहिए। जांच–पडताल का परिणाम, ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर के इस निर्णय से भिन्न हो सकता है कि कोई अनुचित अथवा अनैतिक कृत्य हुआ है।
- जांच एवं कानून की वैध आवश्यकताओं के मद्धेनज़र, यथासंभव व्यक्ति का परिचय गोपनीय रखा जाएगा।
- औपचारिक जांच के प्रारम्भ में ही प्रायः व्यक्ति को आरोपों की जानकारी दे दी जाएगी तथा उन्हें जांच के दौरान अपनी ओर से वस्तुगत जानकारियां देने का अवसर प्राप्त होगा।
- जांच के दौरान, व्हिसिल अधिकारी/लेखा परीक्षण समिति अथवा किसी भी जांचकर्ता को सहयोग प्रदान करना व्यक्ति का कर्तव्य है, किन्तु उनसे अपेक्षित इस सहयोग का आशय यह नही है कि वे अपनी गलती स्वीकार करें।

- व्यक्ति को, व्हिसिल अधिकारी/जांचकर्ता एवं/अथवा लेखा परीक्षण समिति के सदस्य एवं/अथवा ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर के सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति से परामर्श लेने का अधिकार होगा।
- जांच में दखल नही देना व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। सबूत को न तो रोका जाएगा, न नष्ट किया जाएगा और न ही उसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी तथा व्यक्ति द्वारा साक्ष्य को प्रभावित, प्रशिक्षित, भयभीत नही किया जाएगा और न ही साक्ष्य को धमकी दी जाएगी।
- व्यक्ति को जांच रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जब तक कि कोई ठोस कारण ऐसा नही करने को मजबूर करें। व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों के संबंध में ठोस सबूत न हो तो, उस पर लगे आरोप मान्य नही होंगे।
- व्यक्ति को जांच के परिणाम की जानकारी पाने का हक है। यदि आरोप साबित नही होते हैं तो व्यक्ति के साथ यह विचार–विमर्श किया जाना चाहिए कि क्या जांच के परिणाम को सार्वजनिक करना, कंपनी एवं व्यक्ति के उचित हित में होगा।
- संरक्षित प्रकटन की प्राप्ति के 45 दिवसों के भीतर प्रायः जांच समाप्त कर दी जाएगी।

9- lj{k.k

- इस नीति के तहत संरक्षित प्रकटन करने की वजह से एक ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर के साथ कोई अन्यायपूर्ण सलूक नही किया जाएगा। एफएसएनएल, सैद्धांतिक रूप से ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीडन, अत्याचार, अथवा कोई भी अन्य अन्यायपूर्ण नियोजन व्यवहार की निन्दा करती है। अतएव, ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर को किसी अन्यायपूर्ण व्यवहार, जैसे प्रतिकार, डांट–डपट, सेवासमाप्ति/निलंबन की घमकी, अनुशासनात्मक कार्यवाही, स्थानांतरण, पदावनति, पदोन्नति की अस्वीकृति आदि, अथवा ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर के निर्बाध कार्य/कर्तव्य के निर्वहन तथा और भी संरक्षित प्रकटन करने के अधिकार पर रोक लगाने हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार का प्रयोग जैसे कृत्यों से संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर द्वारा संरक्षित प्रकटन किए जाने के परिणामस्वरूप उसके सम्मुख आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए कंपनी द्वारा कदम उठाये जाएंगे। तदनुसार, आपराधिक अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही में यदि ध्यानाकर्षक/व्हिलिस ब्लोअर को गवाही देना पडे, तो इसकी प्रणाली आदि के संबंध में ध्यानाकर्षक/व्हिलिस ब्लोअर को परामर्श प्राप्त करने हेतु कंपनी द्वारा व्यवस्था की जाएगी।
- जहां तक हो सके, एवं वैधानिक अनुमति की सीमा में, ध्यानाकार्षक/व्हिसिल ब्लोअर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअरों को आगाह किया जाता है कि व्हिसिल अधिकारी/लेखा परीक्षण समिति के नियंत्रण के बाहर के कारणों से (यथा, जांचकर्ताओं के द्वारा जांच किए जाने के समय) उनकी पहचान विदित हो सकती है।

- किसी जांच में सहयोग करने वाले किसी अन्य कर्मचारी को भी ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर के समान ही संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

10- tkpdrk

- तथ्यान्वेषण एवं विश्लेषण हेतु जांचकर्ताओं को एक प्रक्रिया अपनानी होती है। अपनी जांच की दिशा एवं सीमा के तहत कार्य करने हेतु जांचकर्ता अपना प्राधिकार एवं दखल की सीमा का अधिकार, लेखा समिति से प्राप्त करेंगे।
- जांच संवर्धन हेतु आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं अन्य संसाधन जुटाये जाएं। कथित एवं वास्तविकता दोनों ही में सभी जांचकर्ता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रहेंगे। सत्यता, वस्तुनिष्ठता, सूच्मता, नैतिक आचरण, तथा वैधानिक व व्यावसायिक मानकों का अनुसरण करना जांचकर्ताओं का कर्तव्य है।
- एक प्राथमिक समीक्षा में निम्नलिखित बातों की पुष्टि होने पर ही जांच प्रारंभ होगीः–

    - तथाकथित कृत्य एक अनुचित अथवा अनैतिक गतिविधि या आचरण संस्थापित करता है, तथा
    - या तो आरोप, जांचयोग्य पर्याप्त विशिष्ट सूचनाओं से समर्थित है, अथवा ऐसे मामले जो इन मानकों की पूर्ति नही करते हैं, मगर प्रबंधन के पुनर्विलोकन के योग्य हैं, किन्तु अपने आप में यह जांच, एक अनुचित अथवा अनैतिक गतिविधि की जांच की तरह नही की जानी चाहिए।

11-fu.k;u

यदि कोई जांच लेखा परीक्षण समिति को इस निर्णय की ओर ले जाती है कि कोई अनुचित अथवा अनैतिक कार्य किया गया है, तो लेखा परीक्षण समिति, कंपनी के प्रबंधन को ऐसे अनुशासनात्मक अथवा सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेगी, जो लेखा परीक्षण समिति को उचित प्रतीत हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नीति के तहत किए गए जांच के परिणामस्वरूप व्यक्ति के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक अथवा सुधारात्मक कार्यवाही, प्रयोज्य कार्मिक आचरण एवं अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अनुपालन से होगी।

12-ifronu

व्हिसिल अधिकारी द्वारा नियमित रूप से लेखा परीक्षण समिति को, विगत प्रतिवेदन के उपरांत उल्हें प्रेषित किए गए समस्त संरक्षित प्रकटनों एवं तत्संबंधी जांच, यदि किया गया हो, के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

अ)<u>दस्तावेजों का अवधारण</u>

सभी लिखित अथवा आलेखित संरक्षित प्रकटनों को, उनसे संबंधित जांच प्रतिवेदनों के साथ कंपनी द्वारा न्यूनतम सात वर्ष की अवधि तक अवधारित किया जाएगा।

13-vf/kl puk

सभी विभाग प्रमुखों द्वारा अपने विभाग के कर्मचारियों को इस नीति की विषय–वस्तु एवं इसकी विद्यमानता को संचारित एवं सूचित किया जाएगा। प्रत्येक विभाग प्रमुख द्वारा अनुपालन अधिकारी को एक स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा कि उसके विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को इस नीति की सूचना दी गई है। नए कर्मचारियों को इस नीति की सूचना कार्मिक व प्रशासन् विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी, एवं तत्संबंधी वक्तव्य समय–समय पर अनुपालन अधिकारी को प्रदान की जाएगी।

यह नीति, समय–समय पर यथा संशोधित, कंपनी के वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

14-okf"kd vfHkiqf"V

कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष यह अभिपुष्टि की जाएगी कि उसके द्वारा कार्मिकों का लेखा परीक्षण समिति/प्रबंध निदेशक के साथ संपर्क को निषेधित नही किया गया है तथा उसके द्वारा ध्यानाकर्षक/व्हिसिल ब्लोअर को प्रतिकूल कार्मिक कार्यवाही से संरक्षण प्रदान किया गया है।

यह अभिपुष्टि, कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुलग्नक कार्पोरेट गवर्नेन्स प्रतिवेदन का एक अंग होगी।

15-la'kks/ku

किसी भी समय, बिना कोई कारण प्रकटित करते हुए, इस नीति के संपूर्ण अथवा आंशिक संशोधन या परिवर्तन का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है। हालांकि, ऐसे संशोधन अथवा परिवर्तन कर्मचारियों पर बाध्य नही होंगे यदि इन्हें कर्मचारियों को लिखित रूप में सूचित नही किया गया हो।

दिनांक